

ग्राम पंचायत द्वारा सहमति प्रपत्र

परियोजना का नाम: **स्वर्ना नदी में उप-खनिज चुगान**

झाझरा राजि, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के अन्तर्गत स्वर्ना नदी में उप-खनिज चुगान परियोजना हेतु आरक्षित वन क्षेत्र में 23.75 है. का उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रामपुर भाऊवाला द्वारा दिनांक 10.05.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदन वन भूमि के सम्बन्ध में सहमति प्रपत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी।

उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदन वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया एवं प्रस्ताव परित किया गया कि ग्राम रामपुर भाऊवाला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु सहमति पत्र देने हेतु कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो कि सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
विकास खण्ड-सहसपुर
जिला-देहरादून



हस्ताक्षर

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत द्वारा सहमति प्रपत्र

परियोजना का नाम: **स्वर्ना नदी में उप-स्वनिज चुगान**

झाझरा राजि, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के अन्तर्गत स्वर्ना नदी में उप-स्वनिज चुगान परियोजना हेतु आरक्षित वन क्षेत्र में 23.75 है. का उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रामपुर कला द्वारा दिनांक 10.05.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदन वन भूमि के सम्बन्ध में सहमति प्रपत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी।

उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदन वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया एवं प्रस्ताव परित किया गया कि ग्राम रामपुर कला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु सहमति पत्र देने हेतु कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो कि सत्य एवं सही है।



हस्ताक्षर

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत द्वारा सहमति प्रपत्र

परियोजना का नाम: **स्वरना नदी में उप-खनिज चुगान**

झाझरा राजि, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के अन्तर्गत स्वरना नदी में उप-खनिज चुगान परियोजना हेतु आरक्षित वन क्षेत्र में 23.75 है. का उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत राजावाला द्वारा दिनांक 10.05.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदन वन भूमि के सम्बन्ध में सहमति प्रपत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी।

उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदन वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया एवं प्रस्ताव परित किया गया कि ग्राम राजावाला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु सहमति पत्र देने हेतु कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो कि सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
विकास खण्ड-सहसपुर
जिला-देहरादून

देवकीशचिष्ट
प्रधान
ग्राम प्रांमसचिव राजावाला
विख. सहसपुर (देहरादून)